माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, उज्जैन.(म.प्र.)

प्रकरण कमॉक– निगरानी / 2011–12

सूरज सिंह पिता रघुनाथ सिंह
निवासी–ग्राम भंवरा तहसील
टोंकखुर्द जिला देवास
.... निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

1.फतेसिंह पिता लक्ष्मण सिंह
2.चन्दर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
3.विकम सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
निवासीगण भंवरा तहसील,टोंकखुर्द
जिला देवास .... अनावेदक

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय देवास जिला देवास के प्रकरण कमॉक 25 / निगरानी 2010–11 में पारित आदेश दिनॉक 30.12.2011 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है

// **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य** //

यह कि, निगरानीकर्ता के स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित ग्राम भंवरा में भूमि सर्वे नं. 549 रकबा 0.50 एवं 555 रकबा 0.19 हैक्टर पर अनावेदकगण का सतत् रूप से काबिज होकर फसल लेते आ रहें हैं। किन्तु कब्जे का इन्द्राज पटवारी अभिलेख में नहीं किए जाने के कारण अनावेदकगण ने म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116, 121 सहठपठित धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि, उनका कब्जा इन्द्राज किया जावें। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनॉक 1.7.2005 से आदेशानुसार कब्जा इन्द्राज किया गया। इस कारण से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर आवेदक निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सोनकच्छ के यहॉ अपील प्रस्तुत की जो निरस्त की गई। पुनः अपील अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमॉक 485 / 2005–06 अपील दर्ज की जाकर उक्त अपील में दिनॉक 5.7.2010 को आदेश पारित किया गया कि, अधिनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किए जाकर अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के अनुसार तहसीलदार महोदय का आदेश 1.7.2005 निरस्त हो जाने के कारण जो अमल दरामद हुआ वह निरस्त हो जाने से निगरानीकर्ता के द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय टोंकखुर्द के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पूर्व की स्थिति के लिए निवेदन किया। जो, प्रकरण कमॉक–37 / अ–6 में पारित आदेश दिनॉक 1.7.2005 में निरस्त हो चुका हैं। तथा अंतिम आदेश होने से जो कार्यवाही की गई हैं व अमल दरामद किया गया हैं उसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही आवेदक निगरानीकर्ता द्वारा की गई। श्रीमान् नायब

सूरजमल / कन्हैयालाल

XXIX(a)-BR(H)-11

(145)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(54)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 757/I/12 जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31·7·19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर देवास के प्रकरण क्रमांक 25/नि/10-11 में पारित आदेश दिनांक 30-12-11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-10-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	